International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.in
Volume 1; Issue 6; August 2016; Page No. 21-23

ग्राम पंचायत का ग्रामीण विकास में सहभागिता : मधुबनी जिला के संदर्भ में एक अध्ययन

डॉ0 कुमार अमरेश

कीर्त्तन भवन रोड, वार्ड नं0–18, सुरतगंज, मधुबनी, बिहार, भारत।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में पचांयत को ही मानव गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समानता, राजनैतिक निर्णयों में जनता की भागीदारी आदि के कारण एक मात्र आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था कहा जा सकता है, जिसमें जनता शासन–शक्तियों का प्रयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से करती है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र व्यावहारिक होने के कारण विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का यह स्वरूप प्रचलित है। प्राचीन विचारकों जान स्टुअर्ट मिल, अब्राहम लिकंन आदि ने लोकतंत्र की व्याख्या इस प्रकार की है कि लोकतंत्र लम्बे समय तक चिरप्रतिष्ठित अर्थ में जनता का, जनता के द्वारा शासन माना जा रहा, किन्तु आज की प्रविधि एवं वाणिज्य प्रधान सभ्यता में लोकतंत्र ''कोरी कल्पना'' है। पंचायतें राजनैतिक परिस्थिति या शासन चलाने की पद्धति मात्र नहीं है, अपितु यह सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति भी है। यह एक विकासशील दर्शन एवं जीवन जीने का ऐसा तरीका है, जिसमें समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति मूल आधार है। गांधीजी ने प्रचलित लोकतंत्र के स्वरूप की कटु आलोचना करते हुए वयस्क मताधिकार पर भी आधारित लोकतंत्र के ऐसे स्वरूप का समर्थन किया। जिसमें बुनियादी स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा ऊपरी स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गयी संस्था है। इस प्रकार सत्ता के वास्तविक विकेन्द्रीकरण पर आधारित नये ढंग के लोकतंत्र को भारत में अपनाने की उन्हानें सिफारिश की। उन्होंने कहा ''लोकतंत्र'' का अर्थ मैं यह समझता हूँ कि नीचे से नीचे तथा ऊँचे से ऊँचे आदमी को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन सिवाय अहिंसा के ऐसा हो ही नहीं सकता।'' उन्होंने अंतिम सार्वजनिक लेख में लिखा कि सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे 10–20 जनें नहीं चला सकते। वह तो नीचे से गांव के हर आदमी द्वारा चलाई जानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनैतिक तथा आर्थिक ही नहीं वरन् मानसिकता से भी है अर्थात् लांकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में समानता के अवसर मिलने चाहिए। लोकतंत्र हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समाधान का एक मानसिक दृष्टिकोण है।

प्रस्तुत आलेख ''मधुबनी जिला में ग्राम पंचायत का ग्रामीण विकास की सहभागिता से संबंधित है एवं वर्तमान समय में अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनी अहम् भूमिका निभाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में निरक्षरता, अज्ञानता तथा रोजगार के अवसरों की खोज पंचायती व्यवस्था के माध्यम से किया जाना उचित है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् शासकीय नीतियों के क्रियान्वयन के पश्चात् भी आज तक मधुबनी जिला पिछड़े हुए हैं। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से विकसित होने के लिये पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना उचित होगा। प्रस्तुत आलेख में उन सभी तथ्यों को समाहित किया गया है, जो मधुबनी जिला के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है।

उद्देश्य

इस अध्ययन का निम्न उद्देश्य हैः–

- ग्राम पंचायत के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन करना।
- जनजातीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना का पता लगाना।
- ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के क्रियान्वयन एवं आय के स्रोत का अध्ययन करना।
- ग्राम पंचायत बेरोजगारों के रोजगार एवं आय सृजन में कहाँ तक सहायक सिद्ध हुई हैं आदि का अध्ययन करना।

परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन की निम्न परिकल्पनायें है–

- ग्रामीण विकास एवं ग्राम पंचायतों के मध्य सीधा संबंध होता है।
- ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों के द्वारा रोजगार आय का सृजन होता है।
- ग्राम पंचायतों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होता है।

अध्ययन क्षेत्र

मधुबनी जिला की स्थापना 1972 में की गई थी। इसके पूर्व यह दरभंगा जिला का एक अनुमंडल के रूप में अवस्थित था। मधुबनी जिला का क्षेत्रफल 3501 वर्ग कि0 मी0 है। इसके उत्तर में नेपाल, पुरव में सुपौल, पष्चिम में सीतामढ़ी और दक्षिण में दरभंगा जिला है। जिले में उच्चतम बाढ़ का स्तर 54.017 मी0 है। पूरा जिला भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। जिले में कुल बोया गया क्षेत्र 21, 83, 81 हेक्टेयर है। यहाँ 1456.5 हेक्टेयर जमीन गैर कृषि योग्य प्रति भूमि है। गैर कृषि कार्यो में 51, 27, 3.24 हेक्टेयर भूमि है। कृषि योग्य प्रति जमीन 333.32 हेक्टेयर है। अस्थाई रूप से बंजर भूमि 1372.71 हेक्टेयर है। विविद्ध पौधों से युक्त भूमि का क्षेत्रफल 88, 35.90 हेक्टेयर है। कुल कृषि योग्य भूमि 232724 हेक्टेयर है। यहाँ का फसल तीव्रता 134.23 प्रतिषत है। जिले में 5 सब डिविजन है, 21 प्रखंड है, 20 अंचल है, पंचायतों की संख्या 399 है, 1111 गाँव, 18 थाना, 13 सहायक थाना, 5 ऑटपोस्ट, 4 शहरी ऑटपोस्ट, 2 जेल, 2 लोकसभा क्षेत्र, 11 विधानसभा क्षेत्र, 56

जिलापरिषद सदस्य, 555 पंचायत समिति सदस्य तथा 5523 ग्राम पंचायत सदस्य है। इन प्रसासनिक एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा जिले का कार्य संपादित किया जाता है।

जिले में कुल 1195776 साक्षर हैं। जिसमें 832, 849 पुरूष तथा 362, 927 महिलाऐं साक्षर है। जिले में साक्षरता दर 41.97 प्रतिषत है। जिसमें 56.79 पुरूष तथा 26.25 महिलाऐं है। जिले में पेय जल की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अंतर्गत 1034 गाँव में पेय जल व्यवस्था है। 1035 गाँव में सुरक्षित पेय जल व्यवस्था है। 437 गाँव में बिजली की व्यवस्था है। 323 गाँव में घरेलू बिजली व्यवस्था है। 30 गाँव में कृषि कार्य हेतु बिजली व्यवस्था है। 901 गाँव में प्रार्थमिक स्कूल है। 382 गाँव में मध्यविद्यालय है। 119 गाँव में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। 27 कॉलेज है। 232 चिकित्सा केन्द्र है। 48 प्रार्थमिक स्वास्थ केन्द्र है। 157 प्रार्थमिक उप स्वास्थ केन्द्र है। 432 गाँव में डाक तार की व्यवस्था है। जिले में 164 बस सेवाए है। 547 पक्की सरक है, 986 कच्ची सरक है। इस प्रकार मधुबनी जिला में यातायात की सुविधाए तो हैं परंतु ये प्रर्याप्त नही है।

भौगोलिक रूप से मधुबनी जिला समुद्री तल से 80 मी0 की ऊचाई पर अवस्थित है। यह स्थान 25^0–59′ से 26^0–39′ के अक्षांस पुरव तथा 85^0–43′ से 86^0–42′ देसांतर उत्तर में अवस्थित है। भौगोलिक स्तर पर मधुबनी जिला में निम्न सममतल भूमि की बहुलता है जो कई जलग्रहण क्षेत्र से प्रभावित है। जिले का उत्तरी भाग ऊँची जमीन है जहाँ जल जमाव की समस्या नहीं होती है। बेनीपट्टी, लदनियाँ, जयनगर, लौकहा, मधुबनी और फुलपरास प्रखंड का दक्षिणी भाग ऊपलैण्ड के श्रेणी में आता है। जिले की जमीन उच्च उर्वराषक्ति से परिपूर्ण है। यहाँ की दोमट मिट्टी, चिकनी और बलुआही का मिश्रण है। जिले के अधिकांष भाग में भटिआरी मिट्टी है। उत्तर–दक्षिण से पूरव–पष्चिम की लंबाई अधिक है। जिले में बागमती, कमला, कोषी, भूतही बलान, गागन प्रमुख नदियाँ है जो पहाड़ से निकलकर पूरे जिले को प्रभावित करती है। मधुबनी जिले का जलवायु स्वास्थ्यप्रद है, जाड़ा, ग्रीष्म, बरसात और सूखा चार ऋतुऐं जिलावासी को आनंदित करती है। मधुबनी जिला में अन्य समीपवर्त्ती जिला की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। मध्य जून से मध्य अगस्त तक वर्षा की अधिकता रहती है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा 900 मि0 मि0 से 1300 मि0 मि0 तक होती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर कई विकास तथा रोजगारपरक योजनाएं चलाई गई। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। नरेगा भी इसी क्रम में एक प्रयास है। अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (नरेगा) पारित किया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी, 2006 को इस योजना की शुरूआत की गई। 2 अक्तूबर, 2009 को बापू की 140वीं जयंती पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसका नया नामकरण किया। अब नरेगा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से पुकारा जाता है।

नरेगा कई मायनों में दूसरी सरकारी योजनाओं से अलग है। इसने ग्रामीण बेरोजगारों को सीधे फायदा पहुंचाया। इसके तहत पिछले तीन सालों में 4 करोड़ 47 लाख परिवारों को रोजगार मिला। इस दौरान नरेगा ने ग्रामीण बेरोजगारों को 215 करोड़ दिन का रोजगार दिया। यही नहीं नरेगा के लिए खर्च राशि में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2006–07 में जहां 8600 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया वहीं वित्त वर्ष 2009–10 में नरेगा पर करीब 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

नरेगा से जहां ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिला है वहीं पैसा हाथ में आने से गांवों के लोगों की क्रयशक्ति भी बढ़ी है जिससे ग्रामीण इलाकों में विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा मिला है। यही नहीं नरेगा के तहत गांवों में ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे ग्रामीणों को घर के पास ही रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही गांवों का विकास भी हो रहा है। नरेगा के अंतर्गत भूमि सुधार पर जो दिया गया है जिसके अंतर्गत भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए कृषि कार्य करना है। सूखे से बचाव के लिए नरेगा बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। नरेगा की बदौलत भारतीय डाक विभाग को भी नई संजीवनी मिल गई है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2008–09 में डाकघरों में 3.12 करोड़ नए बचत खाते खोले गए हैं जिसमें से एक करोड़ खाते केवल आंध्र प्रदेश में खोले गए।

जाहिर तौर पर हर बदलाव का कोई न कोई दुष्प्रभाव तो होता ही है। रोजगार गांरटी कार्यक्रमों को लेकर भी यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि योजना के अंतर्गत कृत्रिम रोजगारों की वृद्धि से मुख्य रोजगार की हानि होगी। इससे हानिकारक दुष्चक्र स्थापित हो सकता है। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह कानून लाखों ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशियां लाने में मददगार साबित हो रहा है। इससे ग्रामीण गरीब तबके का जीवनस्तर ऊपर उठाने में मदद मिल रही है और देश समाजवाद की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है। 'लालगढ़ प्रकरण' के पश्चात नरेगा को नक्सलवाद से जूझने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया गया है चूंकि ऐसा देखने में आया है कि जिन जिलों का आर्थिक–सामाजिक सूचकांक निम्न–स्तरीय रहा है वही जिले नक्सलवाद या माओवादी हिंसा के भी शिकार हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि इस योजना को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए प्रभावी नियंत्रक व पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। इसके लिए सामाजिक ऑडिट की अनिवार्य व्यवस्था हेतु हर स्तर पर नियमित रुप से निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है और राज्यों को नरेगा के प्रत्येक कार्य का तीन महीने के भीतर सामाजिक ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने से आने वाले समय में यह कानून और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वर्ष 2007 तक दर्ज की गई रिकॉर्ड विकास दर के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्वपूर्ण स्थान हासिल हुआ लेकिन वैश्विक मंदी के पिछले एक साल के दौरान आर्थिक विकास की सूरत बदल गई। प्रशासनिक मोर्चे पर कई कदम उठाए गए और इनमें से ज्यादातर जमीनी स्तर से संबंधित हैं। ये कदम टिकाऊ साबित हो सकते हैं और आज के नायकों को पीछे देखते हैं और

आज के नायकों को पीछे देखते समय एक तरह के संतोष का एहसास हो सकता है।

आखिर कैसे ऐसी प्रशासनिक संरचना, जो दशकों से नतीजे देने में असफल रही थी, अचानक उठ खड़ी हुई और उसने बेहतर नतीजों की नई बुनियाद तैयार कर दी? इसका श्रेय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा अपनाई गई नई सोच को जाता है। इस संस्थान ने समय–समय पर खास सलाह दी, जो उससे पहले उपलब्ध नहीं थी। ये सलाह जांची–परखी और व्यावहारिक थी। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इस परिषद् में ऐसे तीन अलग–अलग समूहों को शामिल किया गया जो आमतौर पर एक साथ नहीं आते थे। ये समूह हैं–सामाजिक नेता, वरिष्ठ अधिकारी और कुछ विद्वान। और प्रशासन इनकी सिफारिशों की अनदेखी नहीं कर सकता था।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्य मांग अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों का प्रस्ताव जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत अभियंता/तकनीकी सहायकों द्वारा प्राक्कलन तैयार करते हुए तकनीकि स्वीकृति पश्चात् प्रशासकीय स्वीकृति हेतु जिला पंचायत की ओर प्रेषित की जाती है। प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा मजदूरों को कार्य दिया जाता है। जिसकी मजदूरी भुगतान अभियंता/तकनीकी सहायक के मूल्यांकन उपरांत अधिकतम 15 दिवस भीतर करने के प्रावधान है। मजदूरी की राशि मजदूरों द्वारा बैंक में खोले गये उनके बचत खातों में सीधे जमा की जाती है। योजनांतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों तथा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पुलिया निर्माण, नवीन तालाब निर्माण, निजी भूमि में कुआँ निर्माण एवं निजी भूमि में समतलीकरण आदि विकास कार्य कराये जा रहे है। विकास कार्यों के साथ–साथ पंजीकृत परिवारों के जीवन स्तर में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुधार आया है। योजना आरंभ से पूर्व आमलोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध होने से मधुबनी जिला विकास के साथ कदम से कदम मिला रहा है।

संदर्भ सूची

1. महिपाल, ''ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों की भूमिका'' योजना, वर्ष–45, अंक–10, योजना–भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 2002
2. खान, रिजवान और आहूजा, आभा ''ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका'', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2006
3. मिश्र, एस, के. एवं पुरी, वी. के. ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2008
4. कुरूक्षेत्र, भारत निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2006
5. वार्षिक रिपोर्ट, अध्याय–28, ''ग्रामीण विकास से भारत निर्माण'', ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2007–08
6. मजुमदार, अम्लनज्योति, ''सुनिश्चित रोजगार गारंटी'', कुरूक्षेत्र, वर्ष–52, अंक–12, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2006